(S) 300

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक/एफ 25–13/2013/10–3 भोपाल, दिनॉक:03 मई, 2014

प्रति,

श्री कल्लू सिंह उइके,
मटन मार्केट के पास,
कोठी बाजार, बैतूल,
जिला–बैतूल।

विषयः– वर्किंग प्लान में सम्मिलित भूमियों पर पंचायती राज व्यवस्था के अधिकारों के तहत नियंत्रण एवं प्रबंधन सौंपा जाना।

–0–

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव कार्यालय का कम्प्यूटर कोड नं. सीएस/93776/2013/पीजी, दिनांक 26.07.2013 के संबंध में निम्नानुसार लेख है:–

(i) संरक्षित एवं आरक्षित वनों में मध्यप्रदेश ग्राम नियम 1977 के अतंर्गत स्थापित ग्रामों को वनग्राम कहा जाता है। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा–2 (य–5) में परिभाषित ग्राम राजस्व ग्राम कहलाते हैं। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–1 (2) निम्नानुसार है:–

"इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है किन्तु इस संहिता में अन्तर्विष्ट कोई भी बात भू–राजस्व के भुगतान के लिये भूमि के दायित्व, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से भू–राजस्व के निर्धारण, भू–राजस्व की उगाही से सम्बन्धित उपबन्धों को और उनसे आनुषंगिक समस्त उपबन्धों को छोड़कर ऐसे क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन समय–समय आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में गठित किया जाए" परन्तु इस संहिता के पूर्वोक्त उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों में धारा–59 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजन के लिये, भूमि के उपयोग के प्रति निर्देश से लागू होंगे। मध्यप्रदेश वनग्राम नियम 1977 तथा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–1 एवं 2 की फोटो प्रतियॉ संलग्न हैं।

(ii) इस उपधारा से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की उपरोक्त धारा–1 (2) के तहत उल्लेखित भू–राजस्व के निर्धारण और उगाही से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर कोई भी प्रावधान आरक्षित एवं संरक्षित वनों पर लागू नहीं होते। अतः निस्तार आदि के लिये आपके पत्र में भू–राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं को लागू करने की मांग संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

(iii) सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बाहर राजस्व क्षेत्रों के लिये हैं। अतः पंचायतों के कार्यो में राजस्व क्षेत्रों में लोगों के खेतों और शासन की भूमियों पर फार्म वानिकी/सामाजिक वानिकी किया जाना सौंपने के लिये संविधान के अनुच्छेद–247–छ–सहपठित संविधान की ग्यारवहीं अनुसूची के मद संख्या– 6 में दिया गया

है। ऐसे क्षेत्रों से लकड़ी का उत्पादन करके ईधन का प्रबंधन और चारे का उत्पादन करके चारे का प्रबंधन करने की शक्ति और प्राधिकार भी पंचायतों को उक्तानुसार मद संख्या–12 में दिये गये है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्षों से प्राप्त लघु वनोपज के प्रबंधन की शक्ति और प्राधिकार मद संख्या–7 में दिये गये है। चूंकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत परिभाषित ग्राम आरक्षित एवं संरक्षित वनों के बाहर स्थित होते हैं, अतः उक्त प्रावधान आरक्षित एवं संरक्षित वनों के लिये न होकर राजस्व क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की पंचायतों के लिये ही है।

(iv) पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(ड)(ii) में गौण वनोपज का स्वामित्व अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों और ग्राम सभाओं को दिया गया है के परिप्रेक्ष्य में राजस्व ग्रामों की पंचायत एवं ग्रामसभाओं को आरक्षित एवं संरक्षित वनों में पैदा होने वाले लघु वनोपज (गौण वनोपज) के अधिकार सौंपा जाना कंडिका (iii) से संचालित होगा।

(v) मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित आरक्षित एवं संरक्षित वनों की सुरक्षा विकास तथा प्रबंधन के लिये वन समितियों वनों की सीमा से पॉच किलोमीटर की दूरी तक स्थित राजस्व ग्रामों और वनों में स्थित वनग्रामों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वन समितियां बनाई गई हैं। ऐसी समितियों की वन प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये उन्हें वनों से कुछ सुविधायें भी दी गई है। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित वन समितियों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभागीय पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2001 से ग्राम स्वराज की स्थापना के अंतर्गत ग्रामसभा को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं। अतः वनों की सुरक्षा और विकास के दायित्व के साथ–साथ उक्त अधिकार संयुक्त वन प्रबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियॉ को दिये गए है।

(vi) संयुक्त वन प्रबंधन समितियां राजस्व ग्रामों में भी है एवं उनकी पंचायतों और ग्रामसभांओं को ग्राम स्वराज की स्थापना के अंतर्गत अधिकार प्रत्यायोजित है।

(vii) पंजाब प्रान्त के एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित तालाब की भूमि पर भवन निर्माण किये जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक/19869/2010 में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2011, में आदेशित है कि तालाब सार्वजनिक प्रयोजन के लिये होता है इसलिए तालाब पर भवन निर्माण किया जाना अवैध है। अतः इस भूमि को ग्राम पंचायत को पुनः सौंपे जाने के संबंध में आदेशित किया गया है। यह प्रकरण वन भूमि से संबंधित न होकर राजस्व भूमि का है। यह भी उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा प्रबन्धित आरक्षित एवं संरक्षित वन भी सार्वजनिक शासकीय सम्पत्ति हैं। सार्वजनिक हित के लिये पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु वनों का होना आवश्यक है। जहॉ–जहॉ वन है वहॉ भरपूर वर्षा होती है तथा वहॉ का पर्यावरण भी शुद्ध होता है। मनुष्य एवं अन्य जीवों के जीवित रहने के लिये ऑक्सीजन और जल प्राथमिक आवश्यकताऐं हैं। इनकी प्राप्ति के लिये वनों का होना अनिवार्य है। वनों से प्राप्त ऑक्सीजन का उपयोग सभी लोग करते हैं। इसी तरह वनों से निकलने वाले जल का उपयोग सभी लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वनों से प्राप्त होने वाले सभी उत्पादों का उपयोग सार्वजनिक हित में होता हैं। काष्ठ एवं अन्य उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व से प्रदेश में जनहित की विकास योजनाओं और अन्य सार्वजनिक कार्यो के संचालन में किया जाता है । इस तरह वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वनों का उपयोग

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ही है न कि उक्त सिविल याचिका से संबंधित तालाब की भूमि की तरह किसी बिल्डर द्वारा निजी उपयोग के लिये। जनहित में वनों को सुरक्षित रखने के लिये ही भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये वन विभाग के द्वारा इनके प्रबंधन की व्यवस्था की हुई है। अतः पंजाब के उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये ग्रामसभाओं को वनों का प्रबंधन सौंपे जाने की मांग न तो विधिसंगत और, तर्कसंगत है और न ही सार्वजनिक हित में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिये कार्य आयोजनाओं का बनाया जाना अनिवार्य किया है और यह कार्य तकनीकी रूप से दक्षता प्राप्त वन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अतः वन विभाग द्वारा प्रबन्धित, आरक्षित तथा संरक्षित वनों को सार्वजनिक नहीं मानते हुये ग्राम सभाओं को सौंपे जाने की आपके द्वारा मांग किया जाना असंगत एवं आधारहीन है।

(नानकराम लालवानी)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनॉकः मई, 2014

पृ0क्रमांक/एफ 25–13/2013/10–3

प्रतिलिपिः–

निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल का कम्प्यूटर कोड क्रमांक/सीएस/93776/2013/पीजी, दिनांक 26.07.2013 के संदर्भ में प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त की गई कार्यवाही को देखते हुए, उक्त मॉनिट विभाग की लंबित मॉनिट सूची से विलोपित कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग